पूर्व मध्य रेल
(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

सं. ईसीआर–एचक्यू 0 कॉन (स्था.) / 35 / 2022 दिनांक 29.03.2022

प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) के माध्यम से राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मियों की पुनर्नियुक्ति

प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) की तिथि : 12.04.2022 (मंगलवार)

रिपोर्टिंग समय : 10.00 बजे से 12.00 बजे तक

स्थल : विमर्श सम्मेलन कक्ष , मुख्य प्रशासनिक कार्यालय,
निर्माण संगठन , पूर्व मध्य रेल ,
महेन्द्रूघाट , पटना , (पिन – 800004).

रेलवे बोर्ड का पत्र सं.E(NG)II/2020/RC-4/2(Pt.2)Dated 22.02.2022(RBE No.23/2022) के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सर्वेक्षण संबंधी कार्य , भूमि अभिलेख का अद्यतन एवं भूमि – अधिग्रहण में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु बिहार / झारखंड राज्य के राजस्व विभाग से राज्य सरकार के किसी ग्रेड पे में सेवानिवृत कर्मचारी को पूर्णत: संविदा के आधार पर निर्माण संगठन , पूर्व मध्य रेल में पुनर्नियुक्ति के लिए प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) लिया जाना है ।

2. पुनर्नियुक्ति पूर्णत: संविदा आधार पर दिनांक 21.02.2023 तक अथवा कार्य की समाप्ति तक या संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक,जो भी पहले हो तक होगा ।
3. बिहार / झारखंड राज्य के सेवानिवृत राज्य राजस्व विभाग के किसी भी ग्रेड पे के कर्मियों की आवश्यकता निम्नवत है : -

क्षेत्र	राज्य राजस्व अधिकारी की सं.
बिहार	06
झारखंड	01
कुल	07*

नोट : * ऊपर दर्शाई गई आवश्यकता अनंतिम है जो रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बाद के स्तर पर घट या बढ़ सकती है ।

4. आयु सीमा :

वे सभी जो अधिसूचना की तिथि को 64 वर्ष की आयु से कम है , आवेदन कर सकते हैं ।

5. आवेदक की पात्रता :

बिहार / झारखंड राज्य के राजस्व विभाग के सेवानिवृत कर्मी (सभी ग्रेड पे) ही पात्र हैं । सेवानिवृत कर्मी को सर्वेक्षण संबंधी कार्य , भूमि अभिलेख का अद्यतन एवं भूमि – अधिग्रहण में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु संबंधित राज्य सरकार में अपने सेवा अवधि के दौरान राजस्व विभाग के संबंधित कार्यों में अनुभवी होना आवश्यक है । निष्कासित / पदच्युत / अनिवार्य सेवानिवृत कर्मचारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है ।

6. चयन की विधि :

उपयुक्तता / सक्षमता का निर्णय प्रवेश - साक्षात्कार (walk – in interview) द्वारा किया जाएगा ।

7. पारिश्रमिक , भत्ता एवं अवकाश :

(i) सेवानिवृति के समय पे-ड्रॉन से मूल पेंशन की कटौती के उपरांत नियत मासिक राशि संविदा अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में देय होगा । संविदा अवधि में नियत पारिश्रमिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(ii) संविदा अवधि के दौरान वेतन वृद्धि , मंहगाई भत्ता एवं एच.आर.ए. नहीं मिलेगा ।

(iii) आवास एवं कार्यस्थल के बीच कॉम्यूटिंग उददेश्य हेतु यातायात भत्ता के रूप में उपयुक्त एवं नियत राशि देय होगी जो सेवानिवृति के समय नियुक्त कर्मी को लागू दर से अधिक नहीं होगी । नियुक्ति अवधि के दौरान नियत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा । तथापि सेवानिवृति के समय अधिकृत दर के अनुसार उनको सरकारी यात्रा पर टी.ए./ डी.ए. देय होगा, यदि कोई ।

(iv) प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा हेतु 1.5 दिन की दर से पेड लीव ऑफ एबसेंस देय (Paid leave of absence) होगा ।

8. चयनित उम्मीदवार को वर्तमान प्रचलन के अनुसार मनोनीत प्राधिकारियों से उपयुक्त कोटि के चिकित्सा स्वस्थता (medical fitness) हेतु चिकित्सा जांच कराना होगा ।

9. पुनर्नियुक्ति के पूर्व सत्यनिष्ठा की जांच की जाएगी ।

10. करार : आचार – विचार एवं सत्यनिष्ठा संबंधित खंड (clause) को ध्यान में रखते हुए पुनर्नियुक्त सेवानिवृत कर्मी को रेलवे के साथ एक गोपनीय करार पर हस्ताक्षर करना होगा ।

11. पुनर्नियुक्ति हेतु चयनित सेवानिवृत कर्मियों को समय – समय पर पुनर्नियुक्ति योजना के सभी निबंधन एवं शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा ।

12. संविदा की समाप्ति :

किसी एक तरफ से भी संविदा को 15 दिनों की सूचना पर समाप्त किया जा सकता है । नियमित आधार पर सेवानिवृत पुनर्नियुक्त राज्य सरकार कर्मी के कार्य निष्पादन की मोनिटरिंग की जाएगी और जो ड्यूटी करने में असमर्थ हो या प्रशासन की आशानुरूप कार्य करने में असफल हो रहे हो , उनको 15 दिनों का नोटिस देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है । तथापि सत्यनिष्ठा संबंधी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट / भारी लापरवाही /कदाचार/ अनियमितताओं के मामले में, अनुबंध / नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है ।

13. रेलवे प्रशासन को पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता हेतु पुनर्नियुक्त कर्मियों का स्थानांतरण करने का अधिकार होगा ।

14. पुनर्नियुक्त कर्मियों को स्वस्थ रहना होगा एवं स्वस्थता की जांच रेलवे के चिकित्सा विभाग द्वारा की जाएगी ।

15. पुनर्नियुक्त कर्मियों द्वारा एकत्रित कोई भी सूचना किसी दूसरे को प्रकट नहीं करना होगा जो जानने हेतु प्राधिकृत नहीं है अथवा अधिकार नहीं रखते हो ।
16. उम्मीदवार प्रवेश साक्षात्कार (walk – in interview) के स्थल एवं समय पर इस अधिसूचना के साथ विधिवत भरे हुए संलग्न प्रपत्र एवं पी.पी.ओ. सहित सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो ।
17. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)II/2020/RC-4/2(Pt.2) Dated 22.02.2022 (RBE No.23/2022) और समय- समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्गत संशोधन के अनुसार संविदा आधार पर सभी पुनर्नियुक्ति मामले डील किये जाऐंगे ।
18. वर्तमान नियमों के अनुसार अधिसूचना के निबंधन एवं शर्तों में कोई भी अनुवर्ती परिवर्तन ही लागू होगा । इस अधिसूचना के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पूर्व मध्य रेल / निर्माण संगठन के पास अनुवर्ती परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन / रद्द करना पर विचार / सम्मिलित करने हेतु अधिकार सुरक्षित रहेगा जो जब भी लागू होगा ।
19. कोई भी विधिक विवाद केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण , पटना के क्षेत्राधिकार के अधीन ही प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
20. पूर्व मध्य रेल / निर्माण संगठन के पास पुनर्नियुक्ति के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा , यदि आवेदन में कोई अनियमितता/ कमी पायी जाती है ।
21. पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट : www.ecr.indianrailway.gov.in से सेवानिवृत सरकारी कर्मियों के पुनर्नियुक्ति संबंधी अधिसूचना एवं अन्य कोई जानकारी डाउनलोड किया जा सकता है । (Click Hajipur HQ > Construction > Personnel > Notification)

संलग्न दस्तावेज : आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट 'क')

29/03/22

(आलोक श्रीवास्तव)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / निर्माण
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण
पूमरे / महेन्द्रूघाट , पटना

परिशिष्ठ 'क'

----------------------- के पद हेतु दैनिक पारिश्रमिक आधार पर सेवानिवृत्त राज्य सरकार कर्मियों के पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र ।

क्षेत्र...

1	नाम		सेवानिवृत्त राज्य सरकार कर्मियों का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (स्व–अभिप्रमाणित)
2	पिता का नाम		
3	समुदाय / जाति		
4	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद एवं स्थान		
5	पे बैंड +ग्रेड पे रू. / मैट्रिक्स स्तर (सेवानिवृत्ति के समय)		
6	अंतिम पे ड्रॉन		
7	जन्म तिथि (DD-MM-YYYY)		
8	65 वर्ष उम्र होने की तिथि		
9	नियुक्ति तिथि (DD-MM-YYYY)		
10	सेवानिवृत्ति–अधिवर्षिता / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / अनिवार्य / एसआरआरएस		
11	सेवानिवृत्ति तिथि (DD-MM-YYYY)		
12	पी पी ओ सं0 / सेवा प्रमाण पत्र		
13	मूल स्वीकृत पेंशन		
14	शैक्षणिक योग्यता		
15	अनुभव– सर्वेक्षण संबंधित कार्य, भूमि अभिलेख को अधतन करना, एवं भूमि अधिग्रहण में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्य सरकार एजेंसीयों के साथ समन्वय		
16	सेवानिवृत्ति के समय किस चिकित्सा कोटि में उम्मीदवार योग्य थे ।		
17	क्या आप कभी गिरफ्तार किये गए हो / मुकदमा चला हो............ **हॉं / ना**		
18	क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गए हैं .... **हॉं / ना**		

19	सेवानिवृत्ति के समय डी.ए.आर/विजिलेंस के अंतर्गत शासित या कोई मामला लंबित है		
20	आधार नं0 एवं पैन नं0		
21	आवासीय पता (पिन कोड सहित)		
22	मोबाईल सं0		
23	e-मेल,ID....		
24	संलग्न दस्तावेज (स्व.अभिप्रमाणित)...... **हॉ/ना**	सेवा प्रमाण पत्र	
		पीपीओ	
		अंतिम वेतन पर्ची	
		कैंसिल चेक	

नोटः– यदि मद सं0–17, 18 व 19 का जवाब हॉ है तो इसके साथ पूर्ण ब्यौरा दिया जाए ।

घोषणाः–

मैं अधोहस्ताक्षरित सत्यनिष्ठापूर्वक एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिए गए विवरण सत्य एवं सही है । मैं स्वयं किसी गलत और/अथवा असत्य सूचना देने हेतु उत्तरदायी रहूंगा और इस दोषपूर्ण कार्य के लिए मेरी अनुबंध/नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है ।

दिनांक–

स्थान–

उम्मीदवार का हस्ताक्षर